R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11

मासिक शुल्क : 1 रुपया मात्र

खण्ड IV ◆ अंक 7
जनवरी 2009

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/सहायक कंपनियों का परिचालन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं और सहायक कंपनियों के परिचालनों पर विभिन्न सांविधिक और विनियामक निषेधों/प्रतिबंधों की प्रयोज्यता के संबंध में स्थिति को निम्न प्रकार स्पष्ट किया है:

बैंककारी विनियमन अधिनियम (बी आर एक्ट) 1949 की धारा 5(ख) में बैंकिंग कारोबार की परिभाषा दी गयी है तथा धारा 6(1) में बैंकिंग कंपनियों द्वारा किये जानेवाले कारोबार के विभिन्न प्रकार दिये गये हैं । ये धाराएं सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर भी लागू हैं क्योंकि संबंधित कानूनों में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है । इसके अलावा, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 19(1) के अनुसार कोई बैंक केवल (i) उक्त धारा 6(1) के अंतर्गत मूल बैंक को अनुमत गतिविधि करने के लिए; (ii) पूर्णतया भारत से बाहर बैंकिंग कारोबार करने के लिए तथा (iii) कोई अन्य कारोबार करने के लिए, जो भारत में बैंकिंग के प्रसार के लिए सहायक है तथा जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक सार्वजनिक हित में अनुमति दे सकता है, किसी सहायक कंपनी का गठन कर सकता है । बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के कारण यह धारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर भी लागू है ।

भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं और सहायक कंपनियों के परिचालन के दौरान यह संभव है कि कुछ क्षेत्रों में मेजबान देश की विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करते समय उनसे ऐसा कारोबार करने की अपेक्षा की जाए जो बैंककारी विनियमन अधिनियम / सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंधित कानून के अंतर्गत अनुमत नहीं है । ऐसी स्थिति में बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि ऐसे कारोबार करने के लिए धारा 6(1) (एम) या 19(1) (सी), जो भी लागू हो, के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार से आवश्यक अनुमति ली जाती है ।

विदेशी शाखाओं /विदेशी सहायक कंपनियों द्वारा ऐसे वित्तीय उत्पाद जो भारतीय बाजार में उपलब्ध नहीं हैं तथा जिनपर भारतीय रिज़र्व बैंक ने फिलहाल कोई विनिर्दिष्ट प्रतिबंध नहीं लगाया है में लेनदेन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते ये उत्पाद साधारण-वनीला वित्तीय उत्पाद हों। तथापि, बैंकों को यह सुनिश्चत करना चाहिए कि विदेशी अधिकार क्षेत्रों में ऐसे उत्पादों में कारोबार करने वाली उनकी विदेशी शाखाओं / सहायक कंपनियों के पास ऐसे उत्पाद से संबंधित पर्याप्त ज्ञान, समझ और जोखिम प्रबंधन की योग्यता है। भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजे जाने वाली ऑफ -साइट विवरणियों में भी ऐसे उत्पादों के संबंध में समुचित सूचना शामिल की जानी चाहिए। इन उत्पादों पर भी पूंजी पर्याप्तता, ऋण एक्सपोज़र, आवधिक मूल्य निर्धारण जैसे विवेकपूर्ण मानदंड और अन्य सभी प्रयोज्य मानदंड लागू होंगे। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान मानदंडों में ऐसे वित्तीय उत्पादों के विवेकपूर्ण व्यवहारों का उल्लेख न हो तो बैंक के लिए आवश्यक होगा कि वह इस मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक से स्पष्ट दिशानिर्देश प्राप्त करे।

तथापि, यदि भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएँ/ विदेशी सहायक कंपनियाँ संरचित वित्तीय उत्पादों में कारोबार करना चाहती हैं तो बैंकों को इन उत्पादों के पूरे ब्योरे, मेजबान देश के विनियामकों द्वारा निर्धारित विनियामक व्यवहार (पूंजी पर्याप्तता, मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण, एक्सपोज़र मानदंड आदि) के ब्योरे तथा ऐसे उत्पादों के संबंध में शाखा /सहायक कंपनी में स्थापित जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के ब्योरे देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक से इस हेतु पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

बचाव व्यवस्था (हेज़) -रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

दिसंबर 2003 के अपने पूर्व अनुदेशों को दुहराते हुए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि बैंकों की बोर्ड नीति के अंतर्गत छोटे और मझोले उद्यमों (एसएमई) सहित उनके सभी ग्राहकों के बचाव व्यवस्था-रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ग्राहकों के कुल बचाव व्यवस्था-रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की गणना करते समय विदेशी मुद्रा उधार और बाह्य वाणिज्यिक (इसीबी) उधार सहित सभी स्रोतों से संबंधित उनके एक्सपोजरों को शामिल किया जाना चाहिए।

जिन बैंकों के ग्राहकों के प्रति बड़े एक्सपोजर हों उन्हें एक उपयुक्त रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से मासिक आधार पर ऐसे ग्राहकों के विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/सहायक कंपनियों का परिचालन	1
बचाव व्यवस्था (हेज़) -रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर	1
वित्तीय समावेशन	2
सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा बैंकों में आंतरिक कार्य	2
बैंकों द्वारा ऋण प्रोसेसिंग शुल्क / प्रभारों को प्रकट करना	2
आरक्षित नकदी निधि अनुपात(सीआरआर)/रिपो दर/प्रत्यावर्तनीय रिपो दर में कमी	2
शहरी सहकारी बैंक	
चेकों की वसूली में देरी	2
अमरीकी डॉलर मूल्यवर्ग के चेकों का संग्रहण	3
मानक अस्तियों और जोखिम भारिता के लिए प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड	3
पूँजी निधियों में वृद्धि के लिए लिखत-शहरी सहकारी बैंक	4
सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) धारिता	4
फेमा	
बाह्य वाणिज्यिक उधार (इसीबी) नीति उदारीकरण	4
विदेश यात्रा के लिए भुगतान	4
एशियाई समाशोधन संघ(एसीयू)व्यवस्था के अंतर्गत निपटान	4
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	
अत्यधिक ब्याज का विनियमन	4

के बचाव व्यवस्था-रहित अंश की निगरानी और समीक्षा करनी चाहिए, जिनका कुल विदेशी मुद्रा एक्सपोजर अपेक्षाकृत बड़ा है (उदाहरण के लिए, लगभग 25 मिलियन अमरीकी डालर या उसके समकक्ष)। एसएमई के बचाव व्यवस्था-रहित एक्सपोजर की समीक्षा भी मासिक आधार पर की जानी चाहिए। अन्य सभी मामलों में बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे तिमाही आधार पर ऐसी स्थिति की मिगरानी और समीक्षा करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करें।

सहायता संघ / बहु बैंकिंग व्यवस्था के मामले में ग्राहकों के बचाव व्यवस्था-रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की निगरानी करने के कार्य में मुख्य भूमिका संघ का नेतृत्व करने वाले बैंक / सबसे बड़े एक्सपोजर वाले बैंक को निभानी होगी।

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन की गति को बनाए रखने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि:

(i) वे यह सुनिश्चित करें कि सैटेलाइट कार्यालयों, मोबाइल कार्यालयों, कारोबारी संदेशवाहकों आदि सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए नो-फ्रिल खाताधारकों के स्थान के नजदीक बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए उपाय किए गए हैं;

(ii) खातों के सक्रिय परिचालन के लिए खाता धारकों को प्रोत्साहित करने हेतु नो फ्रिल खातों के साथ-साथ सामान्य केडिट कार्ड (जीसीसी)/ छोटे ओवरड्राफ्ट उपलब्ध कराने पर विचार करें;

(iii) जागरुकता अभियान आयोजित करें ताकि प्रदान की गई सुविधा से नो फ्रिल खाता धारकों को अवगत कराया जा सके;

(iv) 100 प्रतिशत वित्तीय रूप से समावेशित के रूप में घोषित जिलों में व्यापकता सीमा की समीक्षा करें ताकि ऐसी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए इच्छुक लोगों के लिए बैंकिंग सुविधाओं में अंतर को पूरा किया जा सके; और

(v) हाथ में धारित उपकरणों/मोबाईल फोन और बायोमीट्रिक पहुंच सहित स्मार्ट कार्ड जैसी रिज़र्व बैंक की सहायता के साथ विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित किए जा रहे प्रोद्योगिकी समर्थित वित्तीय समावेशन प्रयासों में सक्षम सहायता प्रदान करें।

100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन की रिपोर्ट करनेवाले जिलों में की गई प्रगति का मूल्यांकन स्वतंत्र बाहरी एजेंसियों द्वारा कराया गया। तदनुसार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल राज्यों के 26 जिलों में अध्ययन आयोजित किए गए। इस अध्ययन के निष्कर्ष से यह पता चलता है कि यद्यपि राज्य-स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) ने कई जिलों को वित्तीय रूप से 100 प्रतिशत समावेशित घोषित किया है, इन सभी जिलों में उस सीमा तक वास्तविक वित्तीय समावेशन नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त अधिकांशत: वे खाते जो वित्तीय समावेशन अभियान के एक भाग के रूप में खोले गए थे, विभिन्न कारणों से निष्क्रीय बने हुए हैं। राज्य-स्तरीय बैंकर समिति/जिला परामर्शदात्री समितियों (डीसीसी) के लिए यह आवश्यक है कि वे नो फ्रिल खातों के संबंध में जागरुकता को सक्रियता से आगे बढ़ाएं क्योंकि कई जिलों में इसकी स्थिति खराब बनी हुई है।

सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा बैंकों में आंतरिक कार्य

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे वर्ष के दौरान किसी बैंक में आंतरिक कार्य से संबद्ध रहते समय बैंक में उसी वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षा कार्य न करें। यदि उक्त लेखा परीक्षा फर्म आंतरिक कार्यों से संबद्ध रहती है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे उस वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षा कार्य स्वीकार करने से पहले आंतरिक कार्य को छोड़ दें।

बैंकों द्वारा ऋण प्रोसेसिंग शुल्क / प्रभारों को प्रकट करना

अपने पूर्व अनुदेशों को दुहराते हुए रिज़र्व बैंक ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रोसेसिंग प्रभारों/शुल्कों से संबंधित सभी सूचनाएं ऋण आवेदन फार्मों में अनिवार्यत: प्रकट की जाती हैं। इसके अतिरिक्त बैंकों को चाहिए कि वे ग्राहक को 'सभी समाविष्ट लागत' बता दें ताकि वे प्रभारित दरों की तुलना वित्त के अन्य स्त्रोतों के साथ कर सकें।

यह स्मरण होगा कि मार्च 2007 में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया था कि उधारकर्ता द्वारा मांगी गई ऋण की राशि पर ध्यान दिए बिना ऋण की सभी श्रेणियों से संबंधित ऋण आवेदन फार्म व्यापक होने चाहिए। इसके अलावा, उनमें दी गई सूचनाओं में प्रोसेसिंग के लिए देय शुल्क/प्रभार यदि कोई हो,तो आवेदन स्वीकृत न किए जाने की स्थिति में ऐसे शुल्क में से वापस करने योग्य राशि, समयपूर्व भुगतान के विकल्प तथा उधारकर्ता के हित को प्रभावित करने वाले अन्य मामले शामिल होने चाहिए ताकि अन्य बैंकों के इस तरह के शुल्कों/प्रभारों आदि के साथ सार्थक तुलना की जा सके और उधारकर्ता समझबूझकर निर्णय ले सके।

आरक्षित नकदी निधि अनुपात(सीआरआर)/रिपो दर/ प्रत्यावर्तनीय रिपो दर में कमी

आरक्षित नकदी निधि अनुपात(सीआरआर)

अनुसूचित बैंकों द्वारा बनाए रखा जानेवाला आरक्षित नकदी निधि अनुपात(सीआरआर) 17 जनवरी 2009 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से 50 आधार अंकों की कमी के साथ उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं(एनडीटीएल) के 5.50 प्रतिशत से 5.00 प्रतिशत किया गया है।

रिपो दर

चलनिधि समायोजन सुविधा(एलएएफ) के अंतर्गत निर्धारित रिपो दर को 2 जनवरी 2009 से 100 आधार अंकों की कमी के साथ 6.5 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत किया गया है।

प्रत्यावर्तनीय रिपो दर

चलनिधि समायोजन सुविधा(एलएएफ) के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर को 2 जनवरी 2009 से 100 आधार अंक कम करते हुए 5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत किया गया है।

शहरी सहकारी बैंक

चेक संग्रहण में देरी

उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के समक्ष दर्ज किए गए किसी मामले जिसमें शिकायतर्का ने चेक समाशोधन में देरी और विशेष रूप से स्थानीय और अंतर-नगरीय समाशोधन में ढिलाई के मामले के प्रति ध्यान आकर्षित किया है का निपटारा करते समय आयोग ने यह टिप्पणी की है कि भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 के अंतर्गत अपने विस्तृत अधिकारों के साथ रिज़र्व बैंक चेक संग्रहण में देरी के कारण उत्पन्न किसी प्रकार की ढिलाई को नियंत्रित करने का प्रयत्न करेगा।

आयोग के आदेशों के अनुपालन में सभी प्रथामिक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को सूचित किया गया है कि वे चेक संग्रहण में आयोग द्वारा निर्धारित नीचे उद्धृत समय-सीमा का पालन करें:

- स्थानीय चेकों के लिए जमा और नामे उसी दिन डाले जाएं अथवा अधिक-से-अधिक अगले दिन तक डाले जाएं।
- राज्य की राजधानियों/प्रमुख नगरों/अन्य स्थानों पर आहरित बाहरी चेकों की वसूली की समय-सीमा क्रमश: 7/10/14 दिन होनी चाहिए। अगर इस अवधि के बाद चेक संग्रहण में कोई देरी होती है तो सावधि जमा दर पर अथवा बैंक की नीति के अनुसार किसी विशिष्ट दर पर चेकों के भुगतान प्राप्त करनेवाले व्यक्ति को ब्याज का भुगतान किया जाए। यदि बैंक की चेक संग्रहण नीति में किसी दर का उल्लेख न हो तो तदनुरूपी परिपक्वता के लिए सावधि जमाराशियों पर ब्याज की दर ही लागू होगी। आयोग द्वारा संग्रहण के लिए निर्दिष्ट समय-सीमा को बाहरी सीमा माना जाएगा और राशि का भुगतान किया जाएगा यदि प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली

गई हो। शहरी सहकारी बैंक संग्रहण के लिए अपने ग्राहकों द्वारा जमा किए गए बाहरी चेकों को स्वीकार करने से मना नही करें।

- बाहरी चेकों के लिए संग्रहण अवधि तथा देरी की स्थिति में देय ब्याज साफ/दृश्य अक्षरों में संक्षिप्त तरीके से प्रत्येक शाखा में किसी विशिष्ट स्थान पर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएं।

अमरीकी डॉलर मूल्यवर्ग के चेकों का संग्रहण

प्राधिकृत व्यापारी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अमरीकी डॉलर मूल्यवर्ग के चेक संग्रहण हेतु ग्राहक हितैषी संग्रहण व्यवस्था प्रदान करें। तद्नुसार, शहरी सहकारी बैंक-

i) अमरीकी डॉलर मूल्यवर्ग के चेकों के संग्रहण की योजना को पारदर्शी और अपनी नियमित चेक संग्रहण नीति का हिस्सा बनाएं। उसमें संग्रहण के विभिन्न तरीकों के साथ-साथ संग्रहण में लगने वाली समय-सीमा तथा प्रत्येक तरीके के लिए लागू प्रभारों को भली-भांति दर्शाया जाए।

ii) चेक संग्रहण नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और उसे शाखाओं के सूचना पटलों / वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाए।

iii) ग्राहकों को उनकी जरूरत, सुविधा तथा खर्च के आधार पर चेक संग्रहण के बारे में ठीक से शिक्षित /सूचित किया जाए । साथ ही, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान करने के फायदे भी बताए जाएं।

iv) शहरी सहकारी बैंक अपनी चेक संग्रहण नीतियों की लगातार समीक्षा करते रहें और पता लगाते रहें कि किस प्रकार अमरीका की चेक - 21 सुविधा, प्रतिनिधि बैंक (सीबी) में सीधे जमा करने की व्यवस्था आदि जैसे चेक वसूली के तीव्र तरीकों का उपयोग किया जाए ताकि पारगमन समय (ट्रांजिट टाइम) को कम करते हुए अमरीकी डॉलर मूल्यवर्ग के चेकों का शीघ्र संग्रहण किया जा सके।

v) चेकों को उसी दिन शाखाओं से केंद्रीकृत पूल शाखा तथा केंद्रीकृत पूल शाखा से प्रतिनिधि बैंक तक भेजकर पारगमन समय में 2 से 3 दिन की कमी की जा सकती है । सक्षम तथा भरोसेमंद कूरियर / डाक सेवा का इस्तेमाल करने से पारगमन समय को कम करने में मदद मिल सकती है।

vi) पारगमन /संग्रहण में लगने वाले समय को कम करने के प्रयोजन से चेक सर्विस रुयरो के गठन/चेकों को किसी सर्विस ब्यूरो में पूल करने की संभावना की तलाश करनी चाहिए ताकि उन्हें चेकों की इमेजिंग, आधारभूत खर्च में कमी आदि का लाभ मिल सके।

vii) अमरीकी डॉलर चेकों के संग्रहण पर सेवा प्रभारों के बारे में निर्णय स्वयं शहरी सहकारी बैंक लें और उसे अपनी अमरीकी डॉलर चेक संग्रहण नीति का हिस्सा बनाएं।

viii) अपने नोस्ट्रो खातों में जमा होने की तारीख से ग्राहक के खाते में जमा होने तक के समय के लिए चेक की राशि पर ब्याज अदा करें। ब्याज बचत बैंक दर पर अदा किया जाएगा जिसकी गणना ग्राहक के खाते में जमा राशि के आधार पर की जाएगी।

ix) बैंक की नीति के अनुसार संग्रहण के लिए घोषित समय सीमा से अधिक होने पर विलंब के लिए ग्राहक को अतिरिक्त ब्याज के रूप में क्षतिपूर्ति का भुगतान उसके बिना किसी अनुरोध के किया जाए । विलंब की अवधि के लिए इस प्रकार के ब्याज का भुगतान "स्टेप-अप-आधार" पर किया जाएगा।

x) शहरी सहकारी बैंक कम मूल्य केचेकों को 'तत्काल' क्रेडिट करने की नीति बनाएं जो उनकी अमरीकी डॉलर चेक संग्रहण नीति का एक हिस्सा हो।

xi) चेकों के संग्रहण /खाते में प्राप्ति में विलंब या ग्राहकों से प्राप्त किसी प्रकार की अन्य शिकायतों की भली-भांति समीक्षा की जाए तथा उनका निवारण किया जाए।

xii) शहरी सहकारी बैंक उद्योग की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का निरंतर मूल्यांकन करें और जहां व्यावहारिक हो उन्हें अपनाएं।

मानक अस्तियों / जोखिम भारिता के लिए प्रावधानीकरण

वाणिज्यिक भू-संपदा और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में निवेश के लिए मानक आस्तियों और जोखिम भारिता हेतु प्रावधानीकरण पर अपने विवेकपूर्ण मादंडों की समीक्षा करते हुए रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया है कि-

प्रावधानीकरण

टियर II शहरी सहकारी बैंकों के मामले में सभी प्रकार की मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाएं कृषि तथा एसएमई क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष अग्रिम के मामलों को छोड़कर 0.40 प्रतिशत की एक समान दर तक कम की गयी हैं। कृषि तथा एसएमई क्षेत्र में पहले की तरह 0.25% की दर पर प्रावधानीकरण जारी रहेगा। टियर I शहरी सहकारी बैंक अपनी सभी मानक आस्तियों के लिए 0.25 प्रतिशत की दर पर सामान्य प्रावधानीकरण करना जारी रखें।

संशोधित मानदंड भावी रूप से प्रभावी होंगे परंतु वर्तमान में धारित प्रावधान प्रत्यावर्तित नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, भविष्य में प्रावधानीकरण के संशोधित मानदंडो को लागू करने के बाद यदि मानक संवर्ग की आस्तियों के लिए वर्तमान में किए गए प्रावधान से और अधिक प्रावधान करने की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए विधिवत प्रावधान किया जाए।

जोखिम भारिता

कंपनियों को तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वाणिज्यिक भू-संपदा की जमानत पर दिए गए अग्रिम की जोखिम भारिता निम्नानुसार संशोधित की गयी है :

वाणिज्यिक भू-संपदा

वाणिज्यिक भू-संपदा की जमानत पर दिए गए ऋण और अग्रिमों पर पूर्व की 150 प्रतिशत जोखिम भारिता के स्थान पर 100 प्रतिशत की दर पर जोखिम भारिता होगी।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार बड़ी खरीद (हायर परचेस)/पट्टा (लीजिंग) कार्य करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के सिवाय अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को शहरी सहकारी बैंक वित्त नहीं दे सकते। ऐसी कंपनियों को 15 सितंबर 2008 के डीएनबीएस परिपत्र के माध्यम से अब आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी) के रूप में पुनःवर्गीकृत कर दिया गया है। ऐसी कंपनियों के लिए ऋण की जोखिम भारिता 100 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेगी।

सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) धारिता

शहरी सहकारी बैंकों की उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं(एनडीटीएल) के प्रतिशत के रूप में सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के स्वरूप में सांविधिक चलनिधि अनुपात(एसएलआर) धारिता का अनुपात निम्न प्रकार बढ़ाया गया है:

(i) टियर I के गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के स्वरूप में 30 सितंबर 2009 तक अपने एनडीटीएल का न्यूनतम 7.5 प्रतिशत एसएलआर और 31 मार्च 2010 तक 15 प्रतिशत एसएलआर बनाए रखेंगे।

(ii) टियर II के गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के स्वरूप में एसएलआर का निर्धारण उनके एनडीटीएल का न्यूनतम 15 प्रतिशत बनाए रखना 31 मार्च 2010 तक जारी रहेगा।

31 मार्च 2011 के बाद सभी गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि वे सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में एसएलआर अपने एनडीटीएल का 25 प्रतिशत तक बनाए रखें।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **MR/Tech/WPP-208/South/09-11** **Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

फेमा

बाह्य वाणिज्यिक उधार (इसीबी) नीति उदारीकरण

बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के कुछ पहलुओं को निम्न प्रकार संशोधित किया गया है:

(i) वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के अनुसार, बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए समग्र लागत सीमा स्वचालित और अनुमत दोनों मार्गों के संबंध में निम्नानुसार है :

औसत परिपक्वता अवधि	6 माह लिबोर से ऊपर समग्र लागत सीमा*
तीन वर्ष और पांच वर्षों तक	300 आधार बिंदु
पांच वर्षों से अधिक	500 आधार बिंदु

* उधार की संबंधित मुद्रा अथवा लागू बेंचमार्क के लिए

बाह्य वाणिज्यिक उधार पर समग्र-लागत सीमा 30 जून 2009 तक के लिए हटा दी गई है। तदनुसार, उपर्युक्त निर्धारित समग्र-लागत अनुमत सीमा से ऊपर, बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने का प्रस्ताव देने वाले पात्र उधारकर्ता, अनुमत मार्ग के तहत रिज़र्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं। समग्र लागत-सीमा में दी गई इस रियायत की जून 2009 में समीक्षा की जाएगी।

(ii) एकीकृत नगरीय विकास में शामिल कंपनियों को अनुमत मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार के उपयोग की अनुमति दी गई है जिसमें आवास, वाणिज्य परिसर, होटल, रिसॉर्ट , शहर और क्षेत्रीय स्तर की शहरी बुनियादी सुविधाएं जैसे कि सड़कें, पुल, व्यापक द्रुतगामी पारगमन प्रणाली तथा भवन-निर्माण सामग्री आदि शामिल हैं। एकीकृत नगरीय विकास में भूमि विकास और सम्बध्द बुनियादी सुविधाएं फॉर्म प्रदान करना नगर - रचना के विकास का समेकित भाग हैं। विकसित किया जानेवाला क्षेत्र कम से कम 100 एकड़ का होना चाहिए और स्थानीय उप-नियमों / नियमों के अंतर्गत नियत मापदण्डों और मानकों का पालन किया जाना चाहिए। ऐसे उप-नियमों/नियमों के न होने पर लगभग दस हजार जनसंख्या के लिए दो हजार आवासीय इकाइयां विकसित करने की आवश्यकता होगी। इस नीति की जून 2009 में समीक्षा की जाएगी।

(iii) उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जो केवल संरचना क्षेत्र के वित्त-पोषण में लगी हैं, अनुमत-मार्ग के तहत संरचना क्षेत्र में उधारकर्ताओं को आगे उधार देने के लिए बहुपक्षीय/ क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं और सरकार के नियंत्रणाधीन विकास वित्तीय संस्थाओं से बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए अब अनुमति दी गई है। आवेदनपत्रों पर विचार करते समय, भारतीय रिज़र्व बैंक इन उधारदाताओं की भारत में संरचना क्षेत्र में प्रत्यक्ष समस्त प्रतिबध्दता पर विचार करेगा। उपर्युक्त उधारदाताओं का प्रत्यक्ष उधार पोर्टफोलियों गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उनके कुल बाह्य वाणिज्यिक उधार की तुलना में कभी भी 3:1 से कम नहीं होना चाहिए। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -1 बैंकों को पात्र उधाकार्ताओं से इस आशय का प्रमाणपत्र लेना होगा। जून 2009 में इस सुविधा की समीक्षा की जाएगी।

(iv) सेवा क्षेत्र की संस्थाओं आर्थात् होटलों, अस्पतालों, और सॉफटवेयर क्षेत्र को अनुमत मार्ग के तहत अनुमत अंतिम उपयोग के लिए विदेशी मुद्रा और / अथवा रुपया पूंजी व्यय हेतु स्व-चालित मार्ग के तहत प्रति वित्तीय वर्ष 100 मिलीयन अमरीकी डॉलर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी गई है। तथापि भूमि अधिग्रहण के लिए, बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशा-निर्देशों में संशोधन 02 जनवरी 2009 से लागू हैं। बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के सभी अन्य पहलू जैसेकि स्वचालित मार्ग के तहत प्रति वित्तीय वर्ष प्रति कंपनी 500 मिलियन अमरीकी डॉलर की सीमा, पात्र उधारकर्ता, मान्यताप्राप्त उधारदाता, अंतिम उपयोग, समग्र लागत सीमा, औसत परिपक्वता अवधि, पूर्वभुगतान, वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुन:वित्तीयन और रिपोर्टिंग व्यवस्था यथावत् रहेंगे।

विदेश यात्रा के लिए भुगतान

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I तथा श्रेणी-II और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएफएमसी) को विदेश यात्रा(निजी यात्रा अथवा किसी अन्य प्रयोजन) के लिए डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/प्रीपेड कार्ड के माध्यम से यात्रियों द्वारा किए गए भुगतान को स्वीकार करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते-

(i) अपने ग्राहक को जानिए/धन शोधन निवारक दिशानिर्देशों का पालन किया गया हो;

(ii) विदेशी मुद्रा की बिक्री/विदेशी मुद्रा यात्री चेक निर्गम आदि बैंक द्वारा निर्धारित सीमाओं(क्रेडिट/प्रीपेड कार्ड) के भीतर हो; और

(iii) विदेशी मुद्रा/विदेशी मुद्रा यात्री चेक का खरीददार और क्रेडिट/डेबिट/ प्रीपेड कार्डधारक एक तथा वही व्यक्ति हो।

यह स्मरण होगा कि अक्तूबर 2000 में प्राधिकृत व्यापारियों को विदेशी मुद्रा बेचने पर 50,000/-रु पए तक नकद भुगतान स्वीकार करने की अनुमति दी गई थी। जहाँ कहीं विदेशी मुद्रा की बिक्री की राशि 50,000/-रु पए से अधिक हो वहाँ भुगतान (i) आवेदक के बैंक खाते पर आहरित रेखांकित चेक, अथवा (ii) आवेदक की यात्रा प्रायोजित करने वाली फर्म/कंपनी के बैंक खाते पर आहरित रेखांकित चेक, अथवा (iii) बैंकर्स चेक/ भुगतान आदेश/ माँगड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

अत्यधिक ब्याज का विनियमन

रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ब्याज़ दर पर निम्न प्रकार निर्देश जारी किए हैं:

क) प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का बोर्ड निधियों की लागत, मार्जिन और जोखिम प्रीमियम आदि जैसे संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए एक ब्याज दर प्रतिदर्श अंगीकृत करे तथा ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रभारित किए जानेवाले ब्याज की दर का निर्धारण करे। ब्याज की दर तथा जोखिमों के क्रम-निर्धारण और उधारकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को ब्याज की विभिन्न दरें प्रभारित किए जाने के औचित्य को उधारकर्ताओं अथवा ग्राहकों के आवेदनपत्र में प्रकट किया जाए और संस्वीकृति पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

ख) ब्याज की दर तथा जोखिमों के क्रम निर्धारण को भी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाए अथवा समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाए। वेबसाइट/समाचारपत्रों में प्रकाशित जानकारी को जब कभी ब्याज दरों में परिवर्तन होता है, अद्यतन किया जाए।

ग) ब्याज की दर को वार्षिक दर बनाई जाए ताकि उधारकर्ता उस सटीक दर से अवगत रहे जिसे उसके खाते में प्रभारित किया जाएगा।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, प्रेस संपर्क प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**